रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 | भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA | REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55] दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 22, 2014/वैशाख 2, 1936 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 12
No. 55] DELHI, TUESDAY, APRIL 22, 2014/VAISAKHA 2, 1936 [N.C.T.D. No. 12

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस) (1)/स्थापना विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 22 अप्रैल, 2014

फा. सं. 13/13/2003-गृह पु.-1/स्था./228-230.—दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 147 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 में आगे संशोधन करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ (1) ये नियम दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती)(संशोधन) नियमावली, 2014 कहे जाएंगे।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. नियम 17-ख (iv) का संशोधन दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980, के नियम 17-ख में (iv) दिल्ली पुलिस में संचार इकाई के सहायक वायरलैस आपरेटर/टेलीप्रिंटर आपरेटर (प्रधान सिपाही) के पद से संबंधित।

(क) 'पे बैण्ड और ग्रेड पे/वेतनमान' से संबंधित कॉलम 4 के समक्ष प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:—

'पे बैण्ड-1, 5200/- 20200/- रुपये, ग्रेड पे 2400/- रुपये'

(ख) 'सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं' से संबंधित कॉलम 8 के समक्ष प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

(ख) कम्प्यूटर प्रचालन में प्रवीणता

अर्हकता स्वरूप

* अंग्रेजी शब्द प्रोसैसिंग गति परीक्षा—15 मिनट में 1000 की डिप्रेशन
* मूलभूत कम्प्यूटर प्रकार्य परीक्षा

पीसी को खोलना एवं बन्द करना, प्रिंटिंग, एमएस ऑफिस का उपयोग, टाइप किए हुए टैक्सट को सेव करना और उसमें संशोधन करना, पैराग्राफ सैटिंग और नम्बरिंग इत्यादि।

(ग) 'भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत' से संबंधित कॉलम 11 के समक्ष प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

'शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

(i) 90 प्रतिशत रिक्तियां खुली प्रतियोगिता के माध्यम से भरी जाएंगी और।

(ii) 10 प्रतिशत रिक्तियां दिल्ली पुलिस के स्थाई सिपाहियों में से उनको भारत सरकार के निदेशों के अनुसार आयु में छूट देते हुए भरी जाएंगी।

नोट: बाहरी प्रत्याशियों और विभागीय प्रत्याशियों के लिए प्रवेश परीक्षा एक समान होगी,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
जी.पी. सिंह, अतिरिक्त सचिव (गृह)

HOME (POLICE-1)/ESTABLISHMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd April, 2014

AUTHENTICATED BY
KIREN RIJIJU
Minister of State for Home Affairs
Govt. of India
North Block, New Delhi

F. No. 13/13/2003/HP-1/Estt./228-230.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 147 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules further to amend the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980, namely:—

1. Short title and commencement (1) These rules may be called the Delhi Police (Appointment and Recruitment) (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendment of Rule 17-B(iv) In the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980, in Rule 17-B (iv) relating to the post of Assistant Wireless Operator/Tele-Printer Operator (H.C.) of Communication Unit in Delhi Police.

(a) For the entry against column 4, relating to the 'Pay Band and Grade Pay/Pay Scale' the following entry shall be substituted, namely:—

"Pay Band-1, Rs. 5200/- 20200/-, Grade Pay-Rs. 2400/-."

(b) For the entry against the column 8, relating to the 'Educational and other Qualifications required for direct recruitment', the following entry shall be substituted, namely:—

"(b) Proficientry in Computer Operation

Qualifying in Nature.

* Test English word processing speed—1000 key depressions in 15 minutes.
* Text basic computer functions:—

Opening/Closing of PC, Printing, MS office usage, saving & modification in typed text, paragraph setting & numbering etc.

(c) For the entry against the column 11, relating to the method of Recuitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods, the following entry shall be substituted, namely:—

"100% by direct recruitment.

(i) 90% vacancies shall be filled from the open competition and;

(ii) 10% vacancies shall be filled from the Delhi Police confirmed Constables by giving them age relaxation as per GOIs instructions.

Note: Entrance test for outside candidates and departmental candidates shall be same."

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
G.P. SINGH, Addl. Secy. (Home)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55] दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 22, 2014/वैशाख 2, 1936 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 12
No. 55] DELHI, TUESDAY, APRIL 22, 2014/VAISAKHA 2, 1936 [N.C.T.D. No. 12

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस) (1)/स्थापना विभाग

अधिसूचना

[redacted] दिल्ली, 22 अप्रैल, 2014

गृह राज्य मंत्री
भारत सरकार

फा. सं. 13/13/2003-गृह पु.-1/स्था./228-230.—दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 147 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 में आगे संशोधन करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ (1) ये नियम दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2014 कहे जाएंगे।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. नियम 17-ख (iv) का संशोधन दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980, के नियम 17-ख में (iv) दिल्ली पुलिस में संचार इकाई के सहायक वायरलैस आपरेटर/टेलीप्रिंटर आपरेटर (प्रधान सिपाही) के पद से संबंधित।

(क) 'पे बैण्ड और ग्रेड पे/वेतनमान' से संबंधित कॉलम 4 के समक्ष प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

'पे बैण्ड-1, 5200/- 20200/- रुपये, ग्रेड पे 2400/- रुपये'

(ख) 'सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं' से संबंधित कॉलम 8 के समक्ष प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

(ख) कम्प्यूटर प्रचालन में प्रवीणता

अर्हकता स्वरूप

* अंग्रेजी शब्द प्रोसैसिंग गति परीक्षा—15 मिनट में 1000 की डिप्रेशन
* मूलभूत कम्प्यूटर प्रकार्य परीक्षा

पीसी को खोलना एवं बन्द करना, प्रिंटिंग, एमएस ऑफिस का उपयोग, टाइप किए हुए टैक्सट को सेव करना और उसमें संशोधन करना, पैराग्राफ सैटिंग और नम्बरिंग इत्यादि।

(ग) 'भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत' से संबंधित कॉलम 11 के समक्ष प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

'शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

(i) 90 प्रतिशत रिक्तियां खुली प्रतियोगिता के माध्यम से भरी जाएंगी और।

(ii) 10 प्रतिशत रिक्तियां दिल्ली पुलिस के स्थाई सिपाहियों में से उनको भारत सरकार के निदेशों के अनुसार आयु में छूट देते हुए भरी जाएंगी।

नोट: बाहरी प्रत्याशियों और विभागीय प्रत्याशियों के लिए प्रवेश परीक्षा एक समान होगी,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
जी.पी. सिंह, अतिरिक्त सचिव (गृह)

HOME (POLICE-1)/ESTABLISHMENT DEPARTMENT

AUTHENTICATED BY
KIREN RIJIJU
Minister of State for Home Affairs
North Block, New Delhi

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd April, 2014

F. No. 13/13/2003/HP-1/Estt./228-230.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 147 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules further to amend the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980, namely:—

1. Short title and commencement — (1) These rules may be called the Delhi Police (Appointment and Recruitment) (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendment of Rule 17-B(iv) — In the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980, in Rule 17-B (iv) relating to the post of Assistant Wireless Operator/Tele-Printer Operator (H.C.) of Communication Unit in Delhi Police.

(a) For the entry against column 4, relating to the 'Pay Band and Grade Pay/Pay Scale' the following entry shall be substituted, namely:—

"Pay Band-1, Rs. 5200/- 20200/-, Grade Pay-Rs. 2400/-."

(b) For the entry against the column 8, relating to the 'Educational and other Qualifications required for direct recruitment', the following entry shall be substituted, namely:—

"(b) Proficientry in Computer Operation

Qualifying in Nature.

* Test English word processing speed—1000 key depressions in 15 minutes.

* Text basic computer functions:—

Opening/Closing of PC, Printing, MS office usage, saving & modification in typed text, paragraph setting & numbering etc.

(c) For the entry against the column 11, relating to the method of Recuitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods, the following entry shall be substituted, namely:—

"100% by direct recruitment.

(i) 90% vacancies shall be filled from the open competition and;

(ii) 10% vacancies shall be filled from the Delhi Police confirmed Constables by giving them age relaxation as per GOIs instructions.

Note: Entrance test for outside candidates and departmental candidates shall be same."

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
G.P. SINGH, Addl. Secy. (Home)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.